



राजस्थान-सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
चतुर्थ तल, नेहरू सहकार भवन, जयपुर-302005
Ph. 0141-2204480



<https://sipf.rajasthan.gov.in>

sadd.sys.sipf@rajasthan.gov.in

add.sys.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.93 / पार्ट-3 / कम्प / ऑनलाईन प्रोसेस / 2021 / 894-940

दिनांक: 20-11-2024

परिपत्र

विषय:- एनपीएस बैंक खाते में ईआरएम से प्राप्त राशि को जमा करवाने के सम्बन्ध में।

एनपीएस बैंक खातों में ईआरएम से प्राप्त राशियों को बजट मद 8009-01-101-03-00 (जीपीएफ-2004) में हस्तांतरित करने हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर Payment > Scheme Payment में यूटिलिटी उपलब्ध करवा दी गई है। इस यूटिलिटी के उपयोग से केवल यूनिट हैड के द्वारा ही उक्त ईआरएम राशि सम्बन्धित बजट मद में जमा करवाई जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

Scheme Payment

Download Format Upload Excel File

basic Detail

Deduction Category * Unit * Office * DDO *

Bank Transfer to GPF 2004 JAIPUR CITY 35659-Joint Dir. (HQ) Jaipur 35659-DDO JOINT DIRECTOR HEAD QUARTER SIAMC

Scheme * Budget Head * City * Pincode *

GPF-2004 8009011010300 JAIPUR 302016

Remarks *

OK

Transaction Type * Total Amount *

OFFLINE 1000 Budget Header Post

Save Cancel

1. एसआईपीएफ पोर्टल पर Payment > Scheme Payment में Deduction Category में Bank Transfer to GPF 2004 का चयन करें।
2. सम्बंधित Unit, Office, DDO का चयन कर City, Pincode, Remarks की पूर्ति करें।
3. Scheme में GPF 2004 एवं Budget Head में 8009011010300 का चयन करें।
4. Transaction Type में Offline/Online का चयन करें।
5. Total Amount में Budget Head 8009011010300 में जमा करवाई जाने वाली राशि का ईन्द्राज करने के पश्चात Budget Header Post के Check Box पर क्लिक करें, जिससे एम्प्लॉई आईडी की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chand Bansal
Designation : Senior Additional
Director
Date: 2024.11.20 14:34:33 IST
Reason: Approved



6. उपरोक्त प्रक्रिया के सम्पादन के पश्चात Save बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके फलस्वरूप उक्त राशि के चालान बनने के लिये ई-ग्रास पोर्टल स्क्रीन ऑपन होगी। चयनित ऑफलाईन/ऑनलाईन अनुसार प्रचलित प्रक्रिया पूर्ण करें।

(सुनील चंद बंसल)

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम

क्रमांक: एफ.93/पार्ट-3/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2021/894-940
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 20-11-2024

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, जीपीएफ-2004, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय जयपुर को उनके पत्रांक 134 दिनांक 19.11.2024 के क्रम में प्रेषित है।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chand Bansal
Designation : Senior Additional
Director
Date: 2024.11.20 14:34:33 IST
Reason: Approved